
## न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

आदेश	दिनॉं क-15.09.2016	5	20
		-73	

<u>प्र0कं0 186/12 विद्युत</u>

शासन 🗼 🗘	🏡अभियोगी
<u>/ / <b>बनाम</b> / /</u> राधेश्याम आदि	आरोपीगण
<u>Order sh</u>	<u>neet (contd)</u>
A CHILD	case N0- 186/of 2012

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
15 <u>.09.2016</u>	परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुमार दुबे अधिवक्ता। आरोपीगण राधेश्याम एवं अशोक शर्मा अनुपस्थित। प्रकरण आरोपीगण की उपस्थिति हेतु नियत है। पुलिस थाना मेहगाँव जिला मिण्ड से आरोपीगण के गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गये है एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहे हैं। फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक त्रिवेन्द्र सिंह उपस्थित हैं। उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये आरोपीगण को फरार घोषित किया जाता है। उनके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक त्रिवेन्द्र सिंह को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे। धारा 82 द0प्र0सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं० के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्तगण की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपीगण फरार हैं। तद्दानुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।	



STIRION AND STREET OF THE STATE OF THE STATE